शस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

# FORM No. III
# फर्द अहकाम
(नियम 26)

7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

## ...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

........ विमला देवी वगै० ........ बनाम ........ हरिशंकर वगै०

मुकदमा ........ प्रा० पत्र टी० आई० ........ मुकदमा नं० ........ 36 ........ सन् 2019

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13/05/19 | वकील प्रार्थीगण श्री सुभाष जी शर्मा ने हाजिर अदालत होकर प्रा० पत्र टी० आई० पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता की दलील एक पक्षीय पत्रावली पर सुनी गई। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का पाया जाने पर उभय पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1851 एवं 1857 तक ग्राम लोहरवाड़ा में कमिश्नरी रिपोर्ट आने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें, एक - दूसरे की काब्जाकाश्त में मजाहमत ना करें एवं अतिक्रमण ना करें।<br>प्रकरण में भू - अभिलेख निरीक्षक कांवट को मौका - कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1851, 1853, 1856, 1857, 1858 तक ग्राम लोहरवाड़ा में विवादित पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका - निरीक्षण कर नये एवं पुराने ट्रेस से नाप जोख करवाया जाकर वर्तमान भौतिक स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करें। मौका - कमिश्नर फीस ₹ 700/- शब्दे सात सौ रुपये मात्र प्रार्थीगण से वसूल | |

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी |
| --- | --- | --- |
| | का प्राप्ति रसीद मय मौका-कमिश्नर रिपोर्ट प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 29/05/19 से पूर्व न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वास्ते प्राप्त होने मौका-कमिश्नर रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 29/05/19 को पेश हो। | 12235-36 17/... |
| 29/5/19 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी ... /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.6.19 को पेश हो। | |
| 17-6-19 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी ... कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व ... को पेश हो। दिनांक 29/7/19 | |
| 29/07/19 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूल वादपत्र [illegible] किया जा चुका है। ~~अतः~~ प्रा. पत्र टी. आई. में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 29/07/19<br>उपखण्ड अधिकारी<br>खण्डेला (सीकर) | |

Scanned by CamScanner